

मध्य प्रदेश शासन  
आयुष विभाग,  
वल्लभ भवन कमांक-3, चतुर्थ तल  
मंत्रालय भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 24/09/2019

कमांक 3003/2552/2019/1/59 :: डॉ०रविन्द्र कुमार पाटिल, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी(जिन्हें आगे डॉ०पाटिल कहा जाएगा) शा.आ.औषधालय साईखेडा जिला बैतूल का स्थानान्तर प्रशासकीय आधार पर विभागीय आदेश दिनांक 24.06.2019 द्वारा एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औषधालय उमरधा जिला होशंगाबाद किया गया।

2/- डॉ.पाटिल द्वारा उक्त स्थानांतर निरस्त करने हेतु आवेदन दिनांक 26.06.19 को प्रस्तुत कर माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ जबलपुर में याचिका कमांक 12539/2019 दायर की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 5.7.19 द्वारा निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया:-

In the circumstances, this petition is disposed of with direction to the petitioner to submit a fresh representation along with all the relevant documents before the respondent No.1 within a period one week from the date of receipt of certified copy of this order and on receipt of such representation the same shall be decided by the respondent no.1 in accordance with law within a further period of four weeks:

Till the representation of the petitioner is decided, he shall be allowed to work on the present plae of posting

It is made clear that this court has not expressed any opinion on the merits of the case.

3/- डॉ० पाटिल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के उक्त निर्णय की प्रति संलग्न करते हुए अभ्यावेदन दिनांक 10.07.2019 को पुनः प्रस्तुत किया है। डॉ०पाटिल ने अपने अभ्यावेदन में निम्नानुसार लोख किया गया :-


01- उनकी पत्नि डॉ.भावना नागले (पाटिल) आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर शासकीय आयुर्वेद औषधालय ससुन्द्रा जिला बैतूल में पदस्थ होने एवं जिला बैतूल के ही आयुर्वेद औषधालय में पदस्थ करने का अनुरोध किया गया।

02- बैतूल जिले में रिक्त पद स्थान एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औषधालय माण्डवी एवं दामजीपुरा या शासकीय आयुर्वेद औषधालय कोदारीटी रिक्त है। उनको कोई आपत्ति नहीं होगी यदि उनका स्थानांतर जिला बैतूल में कही भी रिक्त पद पर किया जावे।

4/- डॉ० पाटिल, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, शासकीय आयुर्वेद औषधालय सांईखेडा जिला बैतूल की उक्त परिस्थिति को देखते हुए एवं याचिका क्रमांक 12539/19 में पारित निर्णय दिनांक 5.7.19 के परिप्रेक्ष्य में विभागीय आदेश दिनांक 24.06.2019 द्वारा उनकी एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औषधालय उमरधा जिला होशंगाबाद किया गया स्थानान्तर निरस्त करते हुए उनके अनुरोध पर एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औषधालय दामजीपुरा, ब्लॉक-भीमपुर, जिला बैतूल पदस्थ करने का प्रशासकीय निर्णय लिया गया है।

5/- अतः राज्य शासन एतद्वारा डॉ०रविन्द्र कुमार पाटिल, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, शासकीय आयुर्वेद औषधालय सांईखेडा जिला बैतूल को एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औषधालय उमरधा जिला होशंगाबाद किया गया स्थानान्तर निरस्त करते हुए तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश पर्यन्त स्थानीय व्यवस्था अंतर्गत एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औषधालय दामजीपुरा, ब्लॉक-भीमपुर, जिला बैतूल पदस्थ करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(कलावती उइके)


अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग

भोपाल दिनांक 24/09/2019

क्रमांक 3004/2552/2019/1/59  
प्रतिलिपि:-

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, आयुष विभाग भोपाल।
  - 2- निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, आयुष विभाग भोपाल।
  - 3- आयुक्त, आयुष संचालनालय भोपाल।
  - 4- उप संचालक, संचालनालय आयुष भोपाल की ओर उक्त आदेश बेवसाईड पर प्रदर्शित हेतु।
  - 5- संभागीय आयुष अधिकारी, भोपाल संभाग भोपाल।
  - 6- जिला आयुष अधिकारी, जिला बैतूल/होशंगाबाद।
  - 7- डॉ०रविन्द्र कुमार पाटिल, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, शा.आ.औषधालय सांईखेडा जिला बैतूल
  - 8- स्थापना लिपिक/आर्डर फोल्डर।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
अवर सचिव 23-9-19  
मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग

web call  
21/9/19

25-9-19 05:10 PM  
A.G. III (A)